

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा—माध्य / छाप्रोप्र / ए / 60171 / SC-ST / 2018—19

दिनांक : २४-०८-२०१८

विस्तृत दिशानिर्देश

विषय :- प्री—करगिल ऑपरेशन विजय अर्थात् 1.4.99 के पूर्व विभिन्न युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद सैनिकों / पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सदस्यों / युद्धों में स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्रों का आमंत्रण सत्र 2018—19 हेतु

विषयान्तर्गत उल्लेखित श्रेणी के राजस्थान के मूल निवासी आश्रितों को देय छात्रवृत्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2018—19 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। शहीद/स्थायी विकलांग सैनिकों के आश्रित छात्र/छात्राओं/महिलाओं को कक्षा 1 से 12 तक नियमित अध्ययनरत रहने की स्थिति में प्रतिवर्ष 1800/- रूपये प्रति छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति राशि स्वीकृत की जायेगी। उपरोक्त श्रेणी के आवेदक छात्र/छात्रा को नियमित रूप से सरकारी / गैरसरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। वर्ष 2018—19 हेतु इस योजना का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है —

क्र.सं.	विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
1.	शहीद / स्थायी विकलांग सैनिक के आश्रितों द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	: 01.09.2018	15.09.2018
2.	छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तिथि	: 01.09.2018	30.09.2018
3.	निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि(समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय)/ निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा / निदेशालय संस्कृत शिक्षा)	: 01.10.2018	10.10.2018

शहीद / स्थायी विकलांग सैनिक के आश्रित छात्र/छात्रा अपने जिले के संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से आवेदन पत्र पर प्रति हस्ताक्षर करवाकर अपने संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र का प्रपत्र—4 संलग्न है। आवेदन पत्र के निर्धारित कॉलमों की पूर्ति भलि—भाँति करें। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

उक्त श्रेणी के छात्र/छात्रा को राज्य सरकार से अन्य छात्रवृत्ति का लाभ देय नहीं होगा अथवा अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को यह छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को समस्त प्राप्त आवेदन पत्रों की समेकित सूचना निर्धारित प्रपत्र में मय प्रमाण पत्र प्रेषित किये जावेंगे। आवेदन पत्र एवं अन्य पत्रादि निदेशालय को नहीं भिजवाये जाने हैं उन्हें अपने कार्यालय अभिलेख में संधारित रजिस्टर में इन्ड्राज कर रिकार्ड में रखा जायेगा।

निर्धारित प्रपत्र (सत्र 2018—19)

क्र. सं.	छात्र—छात्रा एवं शहीद / स्थायी विकलांग सैनिक का नाम एवं पूरा पता	शहीद / सैनिक के स्थायी विकलांग होने की दिनांक	कक्षा	विद्यालय का नाम	प्रस्तावित राशि
1					
2					

प्रमाणित किया जाता है कि क्रम संख्या.....से..... तक कुल (.....) के प्रकरणों की जांच व्यक्तिगत रूप से कर ली गयी है तथा सही पायी गयी है। समस्त आवेदन पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है एवं समस्त आवेदन पत्रों को कार्यालय में संधारित रजिस्टर में इन्द्राज कर आवेदन पत्र रिकार्ड में रख लिया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा अन्य कोई भी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा है। प्रति छात्र-छात्रा 1800/- रुपये छात्रवृत्ति स्वीकृत करने की अभिशंसा की जाती है।

दिनांक :

जिला शिक्षा अधिकारी
का पद नाम मय मोहर

नोट :— संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को कार्यालय रिकार्ड में सुरक्षित रखा जावेंगा तथा रजिस्टर में संधारित किया जावेंगा। निदेशालय को सिर्फ निर्धारित प्रपत्र में मय प्रमाण पत्र भिजवाया जायेगा। आवेदन पत्र नहीं भिजवाये जायेंगे।


(निथमल डिलेल)
IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक : २४-०८-२०१८

क्रमांक : शिविरा—माध्य/छाप्रोप्र/ए/60171/SC-ST/2018-19

प्रतिलिपि :— आवश्यक कार्यवाही एवं प्रचार—प्रसार हेतु —

1. उपशासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1/ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
3. निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से भिजवायें।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. मुख्य लेखाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. उपनिदेशक (योजना), माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
8. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक) शिक्षा विभाग।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक—प्रथम/द्वितीय)/प्रारंभिक शिक्षा।
10. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि संलग्न विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करे।


प्रभारी अधिकारी
छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्री-करगिल ऑपरेशन विजय अर्थात् 1.4.99 के पूर्व विभिन्न युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में
शहीद सैनिकों / पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सदस्यों / युद्धों में स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के
आश्रितों को देय छात्रवृति वर्ष 2018-19 हेतु

आवेदन-पत्र

(सत्र 2018-2019 की छात्रवृति हेतु)

विद्यार्थी का
स्वप्रमाणित
फोटो

छात्रवृत्ति योजना का नाम जिसके
लिए आवेदन किया जा रहा है
विद्यार्थी के विद्यालय का नाम

विद्यार्थी का विवरण

- | | | |
|---|---|---|
| 1 विद्यार्थी का नाम | : | |
| 2 जन्म तिथि (DD/MM/YYYY) | : | |
| 3 धर्म (हिन्दू/मुस्लिम/सिख/ईसाई/पारसी/
बौद्ध/जैन/अन्य) | : | |
| 4 लिंग(पुरुष/महिला/ट्रांसजेण्डर) | : | |
| 5 कक्षा जिसमें अध्ययनरत है | : | |
| 6 विद्यार्थी का S.R.नम्बर(विद्यालय द्वारा भरा जावे) | : | |
| 6 गत कक्षा में अध्ययनरत रहे विद्यालय का नाम व पता | : | |
| 7 गत वर्ष की कक्षा एवं प्राप्तांक(कक्षा 01 से 08 तक ग्रेड-ए
/बी/सी/डी/ई एवं कक्षा 09 से 12 तक प्रतिशत) | : | कक्षा कुल पूर्णांक कुल प्राप्तांक ग्रेड/प्रतिशत |
| 8 जाति वर्ग(अजा/अजजा/अपिव/अपिव (विशेष समूह) /
सामान्य/अल्पसंख्यक) | : | |
| 9 डे-स्कॉलर/हॉस्टलर | : | |
| 10 बैंक खाता संख्या | : | |
| 11 बैंक शाखा का नाम | : | |
| 12 बैंक का आई.एफ.एस.कोड(IFSC) | : | |
| 12 बैंक का एम.आई.सी.आर.कोड(MICR) | : | |
| 13 बैंक खाता आधार सीडेड है(हाँ/नहीं) | : | |
| 14 विद्यार्थी का आधार नम्बर | : | |
| 15 आधार का एनरोलमेन्ट नम्बर(यदि विद्यार्थी ने आधार के
लिए आवेदन किया हो परन्तु उसे आधार नम्बर अभी तक
प्राप्त नहीं हुआ हो) | : | |
| 16 भाषाशाह नम्बर | : | |
| 17 छात्र का बैंक खाता भाषाशाह नम्बर से सीडेड है(हाँ/नहीं) | : | |
| 18 विद्यार्थी का मोबाईल नम्बर | : | |
| 19 विद्यार्थी का ई-मेल आई.डी. | : | |

विद्यार्थी के परिवार का विवरण

- | | | |
|---------------------------------------|---|-------|
| 20 पिता का नाम | : | |
| 21 माता का नाम | : | |
| 22 परिवार की वार्षिक आय | : | |
| 23 स्थाई पता/जिले का नाम/राज्य का नाम | : | |

- 24 राशन कार्ड नम्बर :
- 25 क्या विद्यार्थी इस छात्रवृति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था
या सरकारी विभाग से कोई सहायता प्राप्त कर रहा :
- है(हां / नहीं)
- 26 यदि हां तो विवरण दें :

नोट :-

- 1.विद्यार्थी संस्था प्रधान के निर्देशानुसार समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रति इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर स्वयं के विद्यालय में अंतिम दिनांक से पूर्व प्रस्तुत करेगा।
- 2.विद्यार्थी का विद्यालय अभिलेख, शालादर्पण, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड एवं बैंक खाते में नाम समान होना अनिवार्य एवं बैंक खाता आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर से सीडेड होना अनिवार्य है।
- 3.वर्तमान कक्षा में अनुत्तीर्ण होने के फलस्वरूप दूसरी बार अध्ययन कर रहे छात्र/छात्राएं छात्रवृति पाने के लिए अपात्र होंगे।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान

हस्ताक्षर कक्षाध्यापक

हस्ताक्षर विद्यार्थी

प्रपत्र-4 “क”

(प्री-करगिल (1.4.99 से पूर्व) युद्धों तथा अन्य विभिन्न इन्सरेन्सीज काउंटरों में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों हेतु छात्रवृति आवेदन पत्र)

1. शहीद / स्थायी विकलांग सैनिक का नाम
2. शहीद / स्थायी विकलांग होने की तारीख
3. रैंक / यूनिट नम्बर
4. शहीद / स्थायी विकलांग होने का प्रमाण पत्र संलग्न करे।
5. उत्तराधिकारी (फौज के अभिलेख अनुसार) प्रतिलिपि संलग्न करें। उत्तराधिकारी के निवास स्थान का पूर्ण पता भी लिखा जावें।
6. शिक्षार्थी का नाम व शहीद के साथ संबंध (आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न किया जावें)
7. कक्षा जिसमें अध्ययनरत है
8. विद्यालय का नाम व पूर्ण पता

प्रति हस्ताक्षर

(जिला सैनिक कल्याण अधिकारी)

हस्ताक्षर विद्यार्थी

हस्ताक्षर अभिभावक

मूल प्रार्थना पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक)..... को प्रस्तुत कर निवेदन है कि छात्र/छात्रा इस विद्यालय /संस्था की कक्षा में शैक्षणिक वर्ष (.....) अन्तर्गत अध्ययनरत है।

दिनांक :

हस्ताक्षर संस्था प्रधान मय सील

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी.....

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र जांच उपरान्त सही पाया गया है तथा इसका इन्द्राज संबंधित रजिस्टर में कर आवेदन पत्र रिकार्ड पर रख लिया गया है। संबंधित छात्र/छात्रा छात्रवृति हेतु नियमानुसार पात्र है।

दिनांक :

हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक/प्रारम्भिक) मय सील

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा—माध्य / छाप्रोप्र / ए / 60171 / SC-ST / 2018-19

दिनांक : २४-०८-२०१८

विस्तृत दिशानिर्देश

विषय :- करगिल ऑपरेशन विजय अर्थात् 1.4.99 के पश्चात विभिन्न युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद सैनिकों / पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सदस्यों / युद्धों में स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृति वर्ष 2018-19 हेतु आवेदन पत्रों का आमंत्रण

विषयान्तर्गत उल्लेखित श्रेणी के राजस्थान के मूल निवासी आश्रितों को देय छात्रवृति के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। शहीद/स्थायी विकलांग सैनिकों के आश्रित छात्र/छात्राओं /महिलाओं को कक्षा 1 से 12 तक नियमित अध्ययनरत रहने की स्थिति में प्रतिवर्ष 1800/- रूपये प्रति छात्र/छात्रा छात्रवृति राशि स्वीकृत की जायेगी। उपरोक्त श्रेणी के आवेदक छात्र/छात्रा को नियमित रूप से सरकारी / गैरसरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। वर्ष 2018-19 हेतु इस योजना का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है -

क्र.सं.	विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
1.	शहीद / स्थायी विकलांग सैनिक के आश्रितों द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	: 01.09.2018	15.09.2018
2.	छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तिथि	: 01.09.2018	30.09.2018
3.	निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि(समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय)/ निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा /निदेशालय संस्कृत शिक्षा)	: 01.10.2018	10.10.2018

शहीद / स्थायी विकलांग सैनिक के आश्रित छात्र/छात्रा अपने जिले के संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से आवेदन पत्र पर प्रति हस्ताक्षर करवाकर अपने संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र का प्रपत्र-4 संलग्न है। आवेदन पत्र के निर्धारित कॉलमों की पूर्ति भलि-भाँति करें। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

उक्त श्रेणी के छात्र/छात्रा को राज्य सरकार से अन्य छात्रवृति का लाभ देय नहीं होगा अथवा अन्य छात्रवृति प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को यह छात्रवृति देय नहीं होगी। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को समस्त प्राप्त आवेदन पत्रों की समेकित सूचना निर्धारित प्रपत्र में मय प्रमाण पत्र प्रेषित किये जावेंगे। आवेदन पत्र एवं अन्य पत्रादि निदेशालय को नहीं भिजवाये जाने हैं उन्हें अपने कार्यालय अभिलेख में संधारित रजिस्टर में इन्ड्राज कर रिकार्ड में रखा जायेगा।

निर्धारित प्रपत्र (सत्र 2018-19)

क्र. सं.	छात्र-छात्रा एवं शहीद / स्थायी विकलांग सैनिक का नाम एवं पूरा पता	शहीद / सैनिक के स्थायी विकलांग होने की दिनांक	कक्षा	विद्यालय का नाम	प्रस्तावित राशि
1					
2					

प्रमाणित किया जाता है कि क्रम संख्या.....से..... तक कुल (.....) के प्रकरणों की जांच व्यक्तिगत रूप से कर ली गयी है तथा सही पायी गयी है। समस्त आवेदन पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है एवं समस्त आवेदन पत्रों को कार्यालय में संधारित रजिस्टर में इन्द्राज कर आवेदन पत्र रिकार्ड में रख लिया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा अन्य कोई भी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा है। प्रति छात्र-छात्रा 1800/- रुपये छात्रवृत्ति स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :

जिला शिक्षा अधिकारी
का पद नाम मय मोहर

नोट :— संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को कार्यालय रिकार्ड में सुरक्षित रखा जावेगा तथा रजिस्टर में संधारित किया जावेगा। निदेशालय को सिर्फ निर्धारित प्रपत्र में मय प्रमाण पत्र सी.डी. सहित सूचना भिजवायी जावेगी। आवेदन पत्र नहीं भिजवाये जायेंगे।

(निथमल डिलेल)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा—माध्य/छाप्रोप्र/ए/60171/SC-ST/2018-19

दिनांक : 24-08-2018

प्रतिलिपि :— आवश्यक कार्यवाही एवं प्रचार-प्रसार हेतु —

1. उपशासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1/ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
3. निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से भिजवायें।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
6. मुख्य लेखाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. उपनिदेशक (योजना), माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
8. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक) शिक्षा विभाग।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)/प्रारम्भिक शिक्षा।
10. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि संलग्न विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करे।

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

करगिल ऑपरेशन विजय अर्थात् 1.4.99 के पश्चात विभिन्न युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद सैनिकों / पैरा मिलेट्री फोर्स के शहीद सदस्यों / युद्धों में स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृति वर्ष 2018–19 हेतु

आवेदन—पत्र

(सत्र 2018–2019 की छात्रवृति हेतु)

विद्यार्थी का
स्वप्रमाणित
फोटो

छात्रवृत्ति योजना का नाम जिसके
लिए आवेदन किया जा रहा है
विद्यार्थी के विद्यालय का नाम

विद्यार्थी का विवरण

- | | | |
|---|---|---|
| 1 विद्यार्थी का नाम | : | |
| 2 जन्म तिथि (DD/MM/YYYY) | : | |
| 3 धर्म (हिन्दु / मुस्लिम / सिख / ईसाई / पारसी / बौद्ध / जैन / अन्य) | : | |
| 4 लिंग(पुरुष / महिला / ट्रांसजेण्डर) | : | |
| 5 कक्षा जिसमें अध्ययनरत है | : | |
| 6 विद्यार्थी का S.R.नम्बर(विद्यालय द्वारा भरा जावे) | : | |
| 6 गत कक्षा में अध्ययनरत रहे विद्यालय का नाम व पता | : | |
| 7 गत वर्ष की कक्षा एवं प्राप्तांक(कक्षा 01 से 08 तक ग्रेड—ए / बी / सी / डी / ई एवं कक्षा 09 से 12 तक प्रतिशत) | : | कक्षा कुल पूर्णांक कुल प्राप्तांक ग्रेड/प्रतिशत |
| 8 जाति वर्ग(अजा / अजजा / अपिव / अपिव (विशेष समूह) / सामान्य / अल्पसंख्यक) | : | |
| 9 डे—स्कॉलर / हॉस्टलर | : | |
| 10 बैंक खाता संख्या | : | |
| 11 बैंक शाखा का नाम | : | |
| 12 बैंक का आई.एफ.एस.कोड(IFSC) | : | |
| 12 बैंक का एम.आई.सी.आर.कोड(MICR) | : | |
| 13 बैंक खाता आधार सीडेड है(हाँ / नहीं) | : | |
| 14 विद्यार्थी का आधार नम्बर | : | |
| 15 आधार का एनरोलमेन्ट नम्बर(यदि विद्यार्थी ने आधार के लिए आवेदन किया हो परन्तु उसे आधार नम्बर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ हो) | : | |
| 16 भामाशाह नम्बर | : | |
| 17 छात्र का बैंक खाता भामाशाह नम्बर से सीडेड है(हाँ / नहीं) | : | |
| 18 विद्यार्थी का मोबाईल नम्बर | : | |
| 19 विद्यार्थी का ई—मेल आई.डी. | : | |

विद्यार्थी के परिवार का विवरण

- | | | |
|--|---|-------|
| 20 पिता का नाम | : | |
| 21 माता का नाम | : | |
| 22 परिवार की वार्षिक आय | : | |
| 23 रस्थाई पता / जिले का नाम / राज्य का नाम | : | |

- 24 राशन कार्ड नम्बर :
- 25 क्या विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था
या सरकारी विभाग से कोई सहायता प्राप्त कर रहा :
- है(हां / नहीं)
- 26 यदि हां तो विवरण दें :

नोट :- 1.विद्यार्थी संस्था प्रधान के निर्देशानुसार समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रति इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर स्वयं के विद्यालय में अंतिम दिनांक से पूर्व प्रस्तुत करेगा।
 2.विद्यार्थी का विद्यालय अभिलेख, शालादर्पण, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड एवं बैंक खाते में नाम समान होना अनिवार्य एवं बैंक खाता आधार नम्बर,भामाशाह नम्बर से सीडेड होना अनिवार्य है।
 3.वर्तमान कक्षा में अनुत्तीर्ण होने के फलस्वरूप दूसरी बार अध्ययन कर रहे छात्र/छात्राएं छात्रवृत्ति पाने के लिए अपात्र होंगे।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान

हस्ताक्षर कक्षाध्यापक

हस्ताक्षर विद्यार्थी

प्रपत्र-4 "क"

(पोस्ट-करगिल (1.4.99 के पश्चात)युद्धों तथा अन्य विभिन्न इन्सरेन्सीज काउंटरों में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों हेतु छात्रवृत्ति आवेदन पत्र)

1. शहीद / स्थायी विकलांग सैनिक का नाम
2. शहीद / स्थायी विकलांग होने की तारीख
3. रैंक / यूनिट नम्बर
4. शहीद / स्थायी विकलांग होने का प्रमाण पत्र संलग्न करे।
5. उत्तराधिकारी (फौज के अभिलेख अनुसार) प्रतिलिपि संलग्न करें। उत्तराधिकारी के निवास स्थान का पूर्ण पता भी लिखा जावे।
6. शिक्षार्थी का नाम व शहीद के साथ संबंध (आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे)
7. कक्षा जिसमें अध्ययनरत है
8. विद्यालय का नाम व पूर्ण पता

प्रति हस्ताक्षर
(जिला सैनिक कल्याण अधिकारी)

हस्ताक्षर विद्यार्थी

हस्ताक्षर अभिभावक

मूल प्रार्थना पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक)..... को प्रस्तुत कर निवेदन है
कि छात्र/छात्रा इस विद्यालय /संस्था की कक्षा में शैक्षणिक वर्ष (.....) अन्तर्गत
अध्ययनरत है।

दिनांक :

हस्ताक्षर संस्था प्रधान मय सील

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी.....

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र जांच उपरान्त सही पाया गया है तथा इसका इन्द्राज संबंधित रजिस्टर में कर आवेदन पत्र रिकार्ड पर रख लिया गया है। संबंधित छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति हेतु नियमानुसार पात्र है।

दिनांक :

हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक/प्रारम्भिक) मय सील

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा—माध्य / छाप्रोप्र / ए / 60171 / SC-ST / 2018-19

दिनांक : 24-08-2018

विस्तृत दिशानिर्देश

प्रति वर्ष की भाँति इस वर्ष भी भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत छात्रों के रूप में प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत सत्र 2018-19 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। जो छात्राएं 10वीं अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण हो, वे ही आवेदन की पात्र होगी।

शेष शर्तें इस प्रकार हैं –

- आवेदन पत्र के साथ छात्राएं भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र / परिचय पत्र आदि विभाग को पृष्ठि हेतु संलग्न करेगी।

क्र.सं.	विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
1.	आवेदन पत्र जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाकर विद्यालय / संस्था को जमा कराने की दिनांक	: 01.09.2018	15.09.2018
2.	छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तिथि	: 01.09.2018	30.09.2018
3.	निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि(समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) / निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा / निदेशालय संस्कृत शिक्षा)	: 01.10.2018	10.10.2018

निर्धारित प्रपत्र (सत्र 2018-19)

क्र.सं.	छात्रा/पिता का नाम मय पूरा पता	कक्षा	विद्यालय का नाम	प्रस्तावित राशि
1				
2				
3				

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्रम संख्या.....से..... तक कुल (संख्या अंकित करें) के प्रकरणों की जांच व्यक्तिगत रूप से कर ली गयी है तथा सही पायी गयी है। समस्त आवेदन पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है एवं समस्त आवेदन पत्रों को कार्यालय में संधारित रजिस्टर में इन्द्राज कर आवेदन पत्र रिकार्ड में रख लिया गया है। प्रति छात्रा 1000/- रुपये छात्रवृत्ति स्वीकृत करने की अभिशंषा की जाती है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि छात्रा अन्य कोई भी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रही है।

जिला शिक्षा अधिकारी
का पद नाम मय मोहर

- राज्य के राजकीय, गैर राजकीय मान्यता प्राप्त, केन्द्रीय संगठन बोर्ड से संबंधित सभी उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षा 11 व 12 में नियमित पढ़ रही छात्राएं ही पात्र होगी।
- इस छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने वाली छात्रा अन्य किसी छात्रवृत्ति प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी।
- यह छात्रवृत्ति कक्षा 11 की 250 छात्राओं तथा कक्षा 12 की 250 छात्राओं को दिये जाने का प्रावधान है परन्तु अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में मैरिट के आधार पर स्वीकृति की जावेंगी।
- यह छात्रवृत्ति 2 वर्ष के लिए देय होगी। कक्षा 11 में अनुर्तीर्ण होने पर दुबारा कक्षा 11 में अध्ययनरत रहते छात्रवृत्ति देय नहीं होगी परन्तु कक्षा 11 उत्तीर्ण होने पर यह कक्षा 12 में अध्ययनरत रहते प्राप्त कर सकेंगी।

5. जो छात्राएं अध्ययन वर्ष के बीच शालाएं छोड़कर जाती हैं उनकी छात्रवृत्ति राशि अनुपस्थिति समय की कटौती कर भुगतान की जावेगी।
6. छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु भी आवेदन पूर्व वर्ष की भाँति सभी प्रक्रियाओं की पूर्ति सहित करना होगा।
7. छात्राएं आवेदन पत्र में अपना स्थायी निवास का पता पूर्ण रूप से लिखे ताकि उनका भुगतान यदि बकाया रहा तो शाला छोड़ने पर भी उन्हें भेजा जा सके।

संलग्न : आवेदन पत्र का प्रारूप

नोट :— संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को कार्यालय रिकार्ड में सुरक्षित रखा जावेगा तथा रजिस्टर में संधारित किया जावेगा। निदेशालय को सिर्फ निर्धारित प्रपत्र में मय प्रमाण पत्र सी. डी. सहित सूचना भिजवायी जावेगी। आवेदन पत्र नहीं भिजवाये जायेंगे।

(नित्यमल डिलेप)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा—माध्य/छाप्रोप्र/ए/60171/SC-ST/2018-19

प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है—

1. निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. उपनिदेशक (माध्यमिक) समस्त।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक—प्रथम/द्वितीय) समस्त।
4. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि संलग्न विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
5. समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी।
6. रक्षित पत्रावली।

दिनांक : 24-08-2018

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

**भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत छात्रा के रूप में प्रतिभावान पुत्रियों को देय
छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत सत्र 2018–19 हेतु**

आवेदन—पत्र

(सत्र 2018–2019 की छात्रवृत्ति हेतु)

विद्यार्थी का
स्वप्रमाणित
फोटो

छात्रवृत्ति योजना का नाम जिसके
लिए आवेदन किया जा रहा है
विद्यार्थी के विद्यालय का नाम

विद्यार्थी का विवरण

- | | | |
|---|---|---|
| 1 विद्यार्थी का नाम | : | |
| 2 जन्म तिथि (DD/MM/YYYY) | : | |
| 3 धर्म (हिन्दु/मुस्लिम/सिख/ईसाई/पारसी/
बौद्ध/जैन/अन्य) | : | |
| 4 लिंग(पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर) | : | |
| 5 कक्षा जिसमें अध्ययनरत है | : | |
| 6 विद्यार्थी का S.R.नम्बर(विद्यालय द्वारा भरा जावे) | : | |
| 7 गत कक्षा में अध्ययनरत रहे विद्यालय का नाम व पता | : | |
| 8 गत वर्ष की कक्षा एवं प्राप्तांक(कक्षा 10 की अंकतालिका
संलग्न करें) | : | कक्षा कुल पूर्णांक कुल प्राप्तांक ग्रेड/प्रतिशत |
| 9 नवीनीकरण है तो कक्षा 10 एवं 11 की अंकतालिका संलग्न
करें व कक्षा 11 का विवरण दें। | : | कक्षा कुल पूर्णांक कुल प्राप्तांक ग्रेड/प्रतिशत |
| 10 जाति वर्ग(अजा/अजजा/अपिव/अपिव (विशेष समूह) /
सामान्य/अल्पसंख्यक) | : | |
| 11 डे-स्कॉलर/हॉस्टलर | : | |
| 12 बैंक खाता संख्या | : | |
| 13 बैंक शाखा का नाम | : | |
| 14 बैंक का आई.एफ.एस.कोड(IFSC) | : | |
| 15 बैंक का एम.आई.सी.आर.कोड(MICR) | : | |
| 16 बैंक खाता आधार सीडेड है(हाँ/नहीं) | : | |
| 17 विद्यार्थी का आधार नम्बर | : | |
| 18 आधार का एनरोलमेन्ट नम्बर(यदि विद्यार्थी ने आधार के
लिए आवेदन किया हो परन्तु उसे आधार नम्बर अभी तक
प्राप्त नहीं हुआ हो) | : | |
| 19 भामाशाह नम्बर | : | |
| 20 छात्र का बैंक खाता भामाशाह नम्बर से सीडेड है(हाँ/नहीं) | : | |
| 21 विद्यार्थी का मोबाइल नम्बर | : | |
| 22 विद्यार्थी का ई—मेल आई.डी. | : | |

विद्यार्थी के परिवार का विवरण

- | | | |
|-------------------------|---|-------|
| 23 पिता का नाम | : | |
| 24 माता का नाम | : | |
| 25 परिवार की वार्षिक आय | : | |

26	पिता का पूरा विवरण	:	पद..... संख्या.....
27	क्या पिता जीवित है ?	:	(हाँ / नहीं)
28	स्थाई पता / जिले का नाम / राज्य का नाम	:	
29	राशन कार्ड नम्बर	:	
30	क्या विद्यार्थी इस छात्रवृति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता प्राप्त कर रहा है(हाँ / नहीं)	:	
31	यदि हाँ तो विवरण दें	:	

- नोट :- 1.विद्यार्थी संस्था प्रधान के निर्देशानुसार समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रति इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर स्वयं के विद्यालय में अंतिम दिनांक से पूर्व प्रस्तुत करेगा।
 2.विद्यार्थी का विद्यालय अभिलेख, शालादर्पण, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड एवं बैंक खाते में नाम समान होना अनिवार्य एवं बैंक खाता आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर से सीडेड होना अनिवार्य है।
 3.वर्तमान कक्षा में अनुतीर्ण होने के फलस्वरूप दूसरी बार अध्ययन कर रहे छात्र / छात्राएं छात्रवृत्ति पाने के लिए अपात्र होंगे।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान

हस्ताक्षर कक्षाध्यापक

हस्ताक्षर विद्यार्थी

प्रमाण पत्र

कु..... पुत्री श्री..... रैन्क..... इस
 विद्यालय की कक्षा..... की छात्रा है, छात्रा ने सैकण्डरी परीक्षा में प्राप्तांक
 प्रतिशत..... अंक प्राप्त किये है।
 (अंक तालिका की प्रति संलग्न है, नवीनीकरण है जो कक्षा 10 व 11 की प्रति संलग्न करें)

दिनांक

हस्ताक्षर संस्था प्रधान

मय मोहर

प्रमाण पत्र

क्रमांक :

दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... पद.....
 संख्या..... भूतपूर्व सैनिक तथा इनकी पुत्री नाम.....
 कक्षा..... में अध्ययनरत है राजस्थान स्थित ग्राम..... तहसील.....
 जिला..... के मूल निवासी है।

दिनांक :

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी
 हस्ताक्षर मय मोहर